

No.....

Dated.....

### कार्यलय आदेश

लीव ट्रैवल कनेसेशन की धारा 5 तथा भारत सरकार के आ.एम.(13) ए. एस्टैव दिनांक..... के पैरा 3. केन्द्रीय सिविल सेवायें संशोधित अवकाश नियमावली, 1972 तथा शिक्षा निदेशक के ज्ञापन संख्या ई.डी.एन.(4)-3(सी) 16/88-बलट दिनोंक 3. 3.89 तथा हि.प्र. के वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या एफ.आई.एन(सी)ए.(3)-11/98 दिनांक 01.06.2006 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं ..... सह-आचार्य/सहायक-आचार्य, विभाग..... माहविद्यालय..... को उनके परिवार के निम्न सदस्यों सहित अवधि/खण्ड वर्ष ..... के लिए स्थान..... से..... तक जाने व वापिस आने की अवकाश यात्रा रियायत (LTC) का लाभ तथा जाने की स्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ।

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

प्राचार्य/प्रचार्या

रा.महा.वि.....

.....

उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि स्ज्ज नियमों का उल्लंघन न हो। पृसंकन संख्या सम दिनांक .....

प्रतिलिपि सूचर्नाथ एंवम आगामी अवाश्यक कार्यवाही हूतू निम्नलिखित को प्रेषित है।

1. व. उप माहलेखाकार शिमला-171003।
2. कोषाधिकारी .....
3. लेखा सहायक(आन्तरिक) रा.महा.वि.....
4. सम्बधित व्यक्ति।
5. संरक्षक नस्ति।

प्राचार्य/प्रचार्या

रा.महा.वि.....

.....